

13/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सादिक आदेश दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

अज्ञा से रीडर

13/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सादिक आदेश दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

अज्ञा से रीडर

23/12/24

पत्रावली पेश हुई। वारी आधी. उप. पत्रावली वास्ते सादिकवारी हेतु दिनांक 20/1/25 को पेश हो।

23/12/24

20/1/25

पत्रावली पेश हुई। वारीखंबवारी आधी. अनु. वारी एवं वारी आधीवस्ता को निप्रमाउतार तीत बा आवापिं लगारी गई। पत्रु कोई उपस्थित नहीं आया। वारी एवं वारी भाषिकता को पुनः नपापारहेते में एक बार आवाप लगाई गई, पत्रु कोई उपस्थित नहीं आया। वारी एवं वारी आधीवस्ता के उपस्थित नहीं माने के कारण वारी गरा पत्रुत वाद भन्तवति पास 88, 89 शकज्जान काइतकारी आधीवियम को अक्रम टाबरी। अक्रम पौरी में आरिषा किया जाता है। तीपि सरे बजलास सुनाया गया। रिडी पत्रु वारी हो। पत्रावली मैसल शुमार लेकर

वापिल इन्तर हो लका नम्बर से कम हो।

20/1/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शोभालाल पुत्र मांगीलाल चेचानी निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 276/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


20/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा